संख्या-28/2023/002-380-2345553-2023-12-5002-002-3-2023

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म, 107- वनस्पति संरक्षण, 03- पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ0र0/2201/लेखा/पौध संर0/2022-23, दिनांक 06-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107- वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रू0 10740.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से प्रश्नगत योजनान्तर्गत ही मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष के भुगतान हेतु रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

## नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।
(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा **मानक मद** 52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-28/2023/002-380-2345553-2023-12-5002-002-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/संबंधित जनपदीय कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20222023-380-2345553-2023-12-5002-002-3-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म, 107- वनस्पति संरक्षण, 03- पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना में पुनर्विनियोग के संबंध में।

**निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा ) | 01 (वेतन) | 1,07,40,50,000 रुपये एक अरब सात करोड चालीस लाख पचास हजार मात्र | 91,00,000 रुपये इक्यानबे लाख मात्र | 1,00,000 91,00,000 रुपये इक्यानबे लाख मात्र | 1,07,39,50,000 1,06,49,50,000 | 2022-2023 |

**निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा ) | 49 (चिकित्सा व्यय) | 35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र | 90,00,000 रुपये नब्बे लाख मात्र | 35,00,000 1,25,00,000 | 2022-2023 |
| 011 | 2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा ) | 52 (पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)) | 0 | 1,00,000 रुपये एक लाख मात्र | 1,00,000 | 2022-2023 |

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-
अ-वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यायाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है :-
ब- 49-चिकित्सा व्यय मद, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद में वास्तविक मांग अधिक होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-496
संख्या: आर ई-< > -2022-23, दिनांक- मार्च, 17-3-2023

2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Signed by नीलेश कुमार सिंह
Date: 17-03-2023 10:57:11
Reason: Approved

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

(फूल चन्द्र यादव)
अनु सचिव

(नीलेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/291161/2023

संख्या : <380>/2345553-2023 <,< > दिनांक- मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) संबंधित जनपदीय वरिष्ठप कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0प्र0
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0 एम 0-9 तीन प्रतियों में)।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(9) गार्ड बुक।

Signed by अमर चन्द्र
Date: 13-03-2023 13:11:01
(अमर चन्द्र)
अनु सचिव
Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।